

(a) whether it is a fact that in 1956-57 a Branch was opened in the Ministry of Railways to translate Codes, Forms, Manuals etc. into Hindi;

(b) if so, how many Superintendents, Assistants and Clerks were employed for the purpose; -

(c) the number of books in their Hindi version which have so far been sent to the Railways and other subordinate offices;

(d) what are their titles, number of pages and the details of subject matter; and

(e) whether copies of the books, the Hindi translations of which have been prepared, have been kept in the Hindi Education Centres for the benefit of the employees who are learning Hindi?]

रेल उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क) जी हां।

(ख) इस काम के लिए रखे गये कर्मचारियों की वर्तमान स्वीकृत संख्या इस प्रकार है:—

सेक्शन ऑफसर ग्रेड III	१
असिस्टेंट	५
टाइपिस्ट और रूटीन क्लर्क	२

(ग) और (घ) रेलों को अब तक नीचे लिखे अनुवाद भेजे हैं:—

शीर्षक	पृष्ठ
१. बचाव पहले*	२४ (छपे हुए)
२. सामान्य नियम†	१४८ (साइकिलो-स्टाइलड)
३. रेल (कर्मचारी) आचरण नियम	११ "
४. मकान बनाने के लिए पेशगी नियम	२५ "

*इस पुस्तिका में रेल कारखानों में और लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बचाव के उपाय बताये गये हैं।

†ये नियम रेलवे के परिवहन कर्मचारियों के लिए हैं।

(ड.) जी नहीं।

†[THE DEPUTY MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SHAH NAWAZ KHAN): (a) Yes, Sir.

(b) The present sanctioned strength of staff provided for the purpose is as follows:—

Section Officer, Grade III	1
Assistants	5
Typists-cum-routine clerks	2

(c) and (d) The following Hindi translations have been supplied to the Railways so far:

Title	Pages
(i) 'Safety First'*	24 (printed)
(ii) The General Rules†	148 (Cyclo-styled).
(iii) The Railway (Services)	11 (Cyclostyled)
(iv) House Building Advance Rules	25 (Cyclostyled)

(e) No, Sir.

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में काम आने वाले फार्म

१२६. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कौन कौन से फार्म काम में लाये जाते हैं ;

*This booklet contains safety devices for workshop and line staff on the Railways.

†These rules are meant for transportation staff on the Railways.]

†[] English translation.

(ख) इनमें से कितने फार्मों का हिन्दी अनुवाद किया जा चुका है ;

(ग) यदि नहीं, तो इन फार्मों का हिन्दी में अनुवाद कब तक हो जाने की आशा है ; और

(घ) इनमें से कितने फार्म सम्मिलित रूप से हिन्दी तथा अंग्रेजी में छापे जा रहे हैं ?

†[FORMS IN USE IN THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

129. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the types of forms which are used in the Ministry of Food and Agriculture and its subordinate offices;

(b) how many of these forms have been translated into Hindi;

(c) if not, when the forms are likely to be translated into Hindi; and

(d) how many of these forms are being printed in bilingual form, both in Hindi and English?]

कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) :

(क) समस्त केन्द्रीय दफ्तरों में इस्तेमाल करने के लिये निर्धारित मानकित फार्मों को ही इस मन्त्रालय और इसके अधीनस्थ दफ्तरों में इस्तेमाल किया जाता है। ये फार्म चीफ कन्ट्रोलर आफ प्रिंटिंग एन्ड स्टेशनरी (Chief Controller of Printing and Stationery) के द्वारा हासिल किये जाते हैं, जो कि निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत है।

(ख) और (ग) कोई नहीं अभी तक के आर्डरों के अनुसार फार्मों के लिये हिन्दी

प्रयोग नहीं की गई है। राष्ट्रपति के तारीख २७-४-१९६० वाले आर्डर के अनुच्छेद १४ में दी गई हिदायतों के अनुसार, गृह मन्त्रालय में केन्द्र के विभिन्न सरकारी कार्यों के लिये अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी की प्रगति के लिये कार्यक्रम द्वारा किये जा रहे हैं।

(घ) मानकित फार्मों को जो कि नीचे दिये गये हैं, दो भाषाओं में अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में मुद्रित किया जा रहा है :—

एस-१० . रिमाइन्डर फार्म

एस-८१ . पेपर आर्डर कन्सी-
डिरेक्शन एन्ड कौंस-
पोन्डेर

एस-८२ . ड्राफ्ट फार अपरूवल

एस-८३ . प्लीज सी आल्सो लिन्कड
फाइल

एस-८५ . फार सिग्नेचर एन्ड
सम्मरी

एस-१६६ . फेस रिसिट

†[THE DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI M. V. KRISHNAPPA): (a) Standardised forms prescribed for use in all Central Government Offices are also in use in this Ministry, including its subordinate offices. Supplies of these forms are obtained through the Chief Controller of Printing & Stationery who is under the administrative control of the Ministry of Works, Housing & Supply.

(b) and (c) None. The orders issued so far do not cover the use of Hindi for forms. Programme for the progressive use of Hindi in addition to English for various official purposes of the Union is being prepared in the Ministry of Home Affairs in pursuance of directions contained in para 14 of the Presidential Order dated the 27th April, 1960.